फाइल नं0-71-1002(002)/28/2021

6/2023/I/262503/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 16 जनवरी, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुपूरक मॉग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/581, दिनॉक 19.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व मद में अनुपूरक मॉग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के वेतनादि एंव आवश्यक व्ययों के वहन किये जाने हेतु विभिन्न मानक मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तर-2 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल **रू0 3890.00 लाख (रू0 अड़तीस करोड़ नब्बे लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण - अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को वेतन प्रत्येक माह की पहली तारीख को उनकी उपस्थिति सत्यापित करने के बाद अवमुक्त किया जाये। साथ ही कर्मचारियों के खाते में वेतन पहुॅच गया, इसका प्रमाण-पत्र सर्विस प्रोवाइडर से लेने के बाद अगले माह का वेतन सर्विस प्रोवाइटर को अवमुक्त किया जाये, इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होन वाला व्यय-

लेखाशीर्ष: 2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	10 जलकर / जल प्रभार	3,75,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
2	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**8,75,00,000** **(रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050340 (मेडिकल कालेज प्रयागराज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050340 मेडिकल कालेज प्रयागराज	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	24,50,00,000 (रुपये चौबीस करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**24,50,00,000** **(रुपये चौबीस करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050341 (मेडिकल कालेज मेरठ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050341 मेडिकल कालेज मेरठ	10 जलकर / जल प्रभार	5,65,00,000 (रुपये पांच करोड़ पैंसठ लाख मात्र)
	कुल			**5,65,00,000** **(रुपये पांच करोड़ पैंसठ**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				लाख मात्र)
महायोग				38,90,00,000 (रुपये अड़तीस करोड़ नव्वे लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/प्रयागराज/मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/प्रयागराज/मेरठ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर/प्रयागराज/मेरठ।
6. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।